



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

22 बैशाख, 1945 (श०)

संख्या - 273 राँची, शुक्रवार,

12 मई, 2023 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

10 मई 2023

संख्या--05/न.वि./वृ.श.परि-22/2021/1766--

विषय:- बनहौरा, राँची में PMAY के “भागीदारी में किफायती आवास” अन्तर्गत EPC मोड पर 180 आवास के निर्माण के क्रम में अतिरिक्त Rock Excavation एवं Retaining wall (RCC & Brick work) के निर्माण हेतु कुल रु. 64,81,484/- (चैसठ लाख इक्कासी हजार चार सौ चैरासी रुपये) मात्र की योजना पर घटनोत्तर प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में ।

74वें संविधान संशोधन की 12वीं अनुसूची के आलोक में राज्य के शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से सरकार शहरी क्षेत्र के नागरिकों को मूलभूत नागरिक सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु कृत संकल्प है।

2. उक्त क्रम में नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा शहरी क्षेत्र के आवासहीन लोगों को PMAY के “भागीदारी में किफायती आवास” अन्तर्गत आवास उपलब्ध कराया जाता है। इस क्रम में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-262 दिनांक-28.02.2019 द्वारा दक्षिणी छोटानागपुर अन्तर्गत 06 नगर निकायों (Cluster-I) में PMAY के तृतीय घटक “भागीदारी में किफायती आवास” (AHP) अन्तर्गत कुल 3472 आवास निर्माण हेतु कुल 251.38 करोड़ की योजना पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी। इस योजना के अन्तर्गत बनहौरा, राँची में 180 आवास निर्माण हेतु 13.40 करोड़ रुपये की योजना भी शामिल थी।
3. उक्त योजना का कार्यान्वयन एजेंसी सर्वश्री जुडको लि. था। सर्वश्री जुडको लि. द्वारा बनहौरा, राँची में 180 आवास निर्माण योजना का EPC मोड पर कार्यान्वयन हेतु संवेदक के साथ कुल 10,22,75,040/-रु. पर एकरारनामा किया गया था।
4. उपायुक्त, राँची के ज्ञापांक-93(i)/रा. दिनांक-10.05.2018 द्वारा राँची जिला अन्तर्गत हेहल अंचल के मौजा बनहौरा, थाना नं.-142, खाता नं.-133, प्लॉट संख्या-236, रकवा-2.00 एकड़, गैरमजरूआ मालिक भूमि प्रधानमंत्री आवास योजना अन्तर्गत घटक-III के आवास निर्माण हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड को निःशुल्क अन्तर्विभागीय हस्तांतरण की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। राँची नगर निगम के अमीन के सहयोग से इस हस्तांतरित भूमि के सीमांकन के आधार पर उक्त परियोजना हेतु DPR परामर्शी M/s Darashaw & Co. द्वारा तैयार किया गया था। इस सीमांकित भूमि की विशिष्टताएँ निम्न थी:-

अंचल	मौजा	थाना संख्या	खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकवा
हेहल	बनहौरा	142	133	236	2.07 एकड़

5. पुनः उक्त योजना हेतु निविदा निष्पादन के उपरांत सर्वश्री जुडको लि. द्वारा योजना कार्यान्वयन के पूर्व अंचलाधिकारी, हेहल अंचल के माध्यम से उक्त हस्तांतरित भूमि का सीमांकन कराया गया। इस सीमांकित भूमि की विशिष्टताएँ निम्न थीः

अंचल	मौजा	थाना संख्या	खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकवा
हेहल	बनहौरा	142	133	236/P	2 एकड़

6. पूर्व में उक्त हस्तांतरित भूमि को पहचानने में भूल हुई थी एवं कोई अन्य भूखण्ड DPR तैयार करने के समय संबंधित परामर्शी को दिखाया गया था। फलस्वरूप इस भूखण्ड की स्थिति के अनुसार Rock Excavation हेतु मात्र 6,40,258/-रु. का प्रावधान DPR में किया गया था जबकि योजना कार्यान्वयन के क्रम में अंचलाधिकारी, हेहल द्वारा सीमांकित कराये

गये भूमि में पत्थर की अधिकता पायी गयी। इस भूखण्ड पर Rock Excavation कार्य के लिए कुल 30,67,659/-रु. प्राक्कलित किया गया।

7. उक्त अतिरिक्त Rock Excavation के क्रम में मुख्य अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा मंतव्य दिया गया कि “योजना में बढ़ी Rock cutting मद में Quantity को सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय। इस राशि का भुगतान संवेदक को Claim मद से किया जा सकता है।” इस क्रम में निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय के माध्यम से सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग का अनुमोदन प्राप्त कर पर उक्त अतिरिक्त Rock Excavation का कार्य कराया गया।
8. पुनः योजना स्थल का समीपस्थ भूमि से लगभग 3 मीटर ऊँचा होने के कारण मिट्टी को योजना स्थल पर सुरक्षित रखने, बिल्डिंग की स्थिरता एवं सुरक्षा हेतु Retaining wall (RCC & Brick work) का प्रावधान करने का अनुरोध संवेदक के द्वारा किया गया। फलस्वरूप Retaining wall एवं अतिरिक्त Rock Excavation हेतु कुल 61,63,000/-रु. का कार्य कराने पर निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय का अनुमोदन सर्वश्री जुडको लि. द्वारा प्राप्त किया गया था।
9. मुख्य अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा उक्त अतिरिक्त कार्य फलस्वरूप Retaining wall एवं अतिरिक्त Rock Excavation हेतु 12% GST एवं 1% Labour cess के साथ 64,81,484/-रु. के प्राक्कलन पर तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी है।
10. चूंकि उक्त अतिरिक्त कार्य उक्त आवास निर्माण योजना के लिए आधारभूत संरचना के विकास का कार्य था। अतः सर्वश्री जुडको लि. द्वारा उक्त योजना से संबंधित संवेदक के साथ दिनांक-15.03.2021 को Supplementary Agreement किया गया एवं संवेदक से उक्त आवास योजना के कार्यान्वयन हेतु यह अतिरिक्त कार्य सम्पन्न करा लिया गया।
11. उक्त अतिरिक्त कार्य के क्रम में निम्नांकित बिन्दु विचारणीय है:-
 - (i) उपर वर्णित प्रधानमंत्री आवास योजना EPC Mode पर कार्यान्वित करायी गयी है एवं EPC Mode की योजनाओं में संवेदक को किये गये एकरारनामा की राशि का ही भुगतान किया जाता है। उक्त मामले में परिस्थितिगत आवश्यकतावश किये गये अतिरिक्त कार्य हेतु भुगतान किया जाना है।
 - (ii) उक्त प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्यान्वयन केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की राशि से कार्यान्वित करायी गयी है। राज्य मंत्रिपरिषद के स्वीकृत्योपरांत विभागीय संकल्प संख्या-5382 दिनांक-02.11.2018 द्वारा केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तृतीय घटक “भागीदारी में किफायती आवास निर्माण” के अन्तर्गत प्रति आवास निर्माण में केन्द्रांश, राज्यांश एवं लाभुक अंशदान निम्नवत् निर्धारित किये गये हैं:
 - (a) केन्द्रांश - रु. 1.50 लाख
 - (b) राज्यांश - रु. 1.00 लाख
 - (c) लाभुक अंशदान - परियोजना लागत (प्रति आवास) की शेष राशि।

चूंकि लाभुक अंशदान में वृद्धि नहीं की जा सकती है एवं अतिरिक्त कार्य का भुगतान प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के राज्यांश से करने पर उक्त संकल्प का उल्लंघन होगा।

फलस्वरूप अतिरिक्त कार्य का भुगतान राज्य योजना के अन्तर्गत शहरी जलापूर्ति ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सिवरेज एवं ड्रेनेज, नगरीय आधारभूत संरचनाएँ, आवास आदि शहरी योजनाएँ मद से किया जायेगा।

12. उक्त क्रम में अतिरिक्त कार्य हेतु भुगतान वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य योजना अन्तर्गत शहरी जलापूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सिवरेज एवं ड्रेनेज, नगरीय आधारभूत संरचनाएँ, आवास आदि शहरी योजनाएँ मद के अन्तर्गत निम्नांकित बजट शीर्ष से किया जायेगा:-

“मुख्य शीर्ष-2217-शहरी विकास-उप मुख्यशीर्ष-80-सामान्य-लघुशीर्ष-796/789-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना/अनुसूचित क्षेत्र विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-94-शहरी जलापूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सिवरेज एवं ड्रेनेज, नगरीय आधारभूत संरचनाएँ, आवास आदि शहरी योजनाध् उप योजना शीर्ष 01-नगरीय परिवहन, जलापूर्ति, भवन, उद्यान एवं जलाशय योजनायें. विस्तृत शीर्ष 06-अनुदान-79-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)।”

13. उपर्युक्त के आलोक में बनहौरा, राँची में PMAY के “भागीदारी में किफायती आवास” अन्तर्गत EPC मोड पर 180 आवास के निर्माण के क्रम में अतिरिक्त Rock Excavation एवं Retaining wall (RCC & Brick Work) के निर्माण हेतु कुल रु. 64,81,484/- (चैसठ लाख इक्कासी हजार चार सौ चैरासी रुपये (मात्र की योजना पर घटनोत्तर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।
14. उक्त प्रस्ताव पर दिनांक-27.04.2023 को सम्पन्न राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में मद संख्या-18 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(विनय कुमार चौबे)

सरकार के सचिव ।
